

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.21(1)(100)पूल / आईसीडीएस / 91 / 105/98

जयपुर, दिनांक:

उप निदेशक,

4.8.16

महिला एवं बाल विकास विभाग,

जोधपुर।

विषय:- वाहनों को स्क्रेप घोषित करने बाबत।


प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 5992 दिनांक 02-08-16 एवं क्रमांक 39
दिनांक 20-04-16

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि निम्नलिखित परियोजनाओं के वाहनों को नाकारा घोषित किया गया है।

क्रसं.	परियोजना का नाम	वाहन संख्या	नकारा घोषित दिनांक
1	फलौदी	RJ19- C-1978	22-08-14
2	शेरगढ	RNQ-6214	04-04-13
3	लूणी	RNQ-7286	04-04-13

उक्त वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं होने के कारण वाहन को स्क्रेप में नीलाम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त वाहनों को दिनांक 10-08-2016 तक जिला पूल / स्टेट मोटर गैराज में जमा कराना सुनिश्चित करावें।

स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



 प्रभारी अधिकारी (पूल)
 समेकित बाल विकास सेवाएं
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.21(1)(100)पूल / आईसीडीएस / 91 / 105/99-203 जयपुर, दिनांक: 4.8.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, फलौदी, शेरगढ, लूणी (जोधपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

2. एसीपी (मुख्यालय) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


 प्रभारी अधिकारी (पूल)
 समेकित बाल विकास सेवाएं
 राजस्थान, जयपुर।